

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक—२६-०२-१९

विषय :— मांग संख्या—२० के अन्तर्गत बजट शीर्ष २२१० चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—०१—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—११०—अस्पताल तथा औषधालय—००१६— मानसिक आरोग्यशाला, विपत्र कोड २०—२२१००१११००१६ अन्तर्गत (३१-०६) सहायक अनुदान— वेतनादि के अलावा इकाई में वित्तीय वर्ष २०१८—२०१९ में कुल ₹२,२५,००,०००/- (दो करोड़ पच्चीस लाख रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/ उपशीर्ष अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के राज्यादेश संख्या—१५२(७) दिनांक—२१.०२.१९ के क्रम में वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में कुल ₹२,२५,००,०००/- (दो करोड़ पच्चीस लाख रु०) मात्र का आवंटन दी जाती है।

२. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं २५६१ वि० (२) दिनांक १७.४.९८, परिपत्र २४१९ वि०(२) दिनांक ०५.०४.२००७, २३९८वि०(२) दिनांक—८.४.०८, वित्त विभागीय पत्रांक—३३८८वि०(२) दिनांक १८.४.११, ३८३३ वि०(२) दिनांक—०२.०४.१२, ४२०१ वि०(२) दिनांक— १८.०४.१२ एवं अद्यतन निर्गत परिपत्र में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

३. व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में मांग संख्या—२० के अन्तर्गत बजट शीर्ष २२१० चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—०१—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—११०—अस्पताल तथा औषधालय—००१६— मानसिक आरोग्यशाला, विपत्र कोड २०—२२१००१११००१६ अन्तर्गत (३१-०६) सहायक अनुदान— वेतनादि के अलावा इकाई में प्राप्त राशि से किया जायेगा।

४. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या ७३५५ बि(२) दिनांक ५.१०.०७ के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

५. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर, भोजपुर को उपलब्ध करायेंगे।

६. इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में १८ माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा सहायक अनुदान की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।

७. आवंटित राशि से राज्यादेश में उल्लेखित निहित शर्तों एवं निदेश का अक्षरशः पालन कर ही व्यय सुनिश्चित कराया जाय।

८. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- ५३(३)१

पटना, दिनांक- 26-02-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव//लेख शाखा (दोहरी प्रति में)/ निदेशक, राज्य मानसिक एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर, भोजपुर/ प्रशाखा पदाधिकारी-७ एवं कार्यवाह सहायक/ आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

① अमृ०

सरकार के विशेष सचिव
②

उपबंध एवं आवंटन की स्थिति -

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	(31-04) सहायक अनुदान-वेतन इकाई	50000000	0	50000000
2	(31-06) सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा इकाई	100000000	22500000	77500000
	कुल	150000000	22500000	127500000

(दो करोड़ पच्चीस लाख रु०)

① अमृ०

सरकार के विशेष सचिव

②